शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, निष्पादन तथा वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा पारस्परिक प्राथमिकताएं प्रदान करके अपने योजना संसाधनों में से किया जाता है । तथापि, केन्द्र अपर गंग नहर, मध्य गंग नहर, पूर्वी गंग नहर, शारदा सहायक और सरयू नहर परियोजना नामक उत्तर प्रदेश की चुनिन्दा वृहद सिंचाई परियोजनाओं का प्रबोधन करता है । इन परियोजनाओं के प्रबोधन के दौरान देखी गयी भूमि अधिग्रहण मामलों का हल न होना, परियोजना को लगातार विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न होना, नहर नेटवर्क में दूर संचार सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त निधियों जैसी कमियों के बारे में उपचारात्मक उपाय करने के वास्ते राज्य सरकार को बता दिया गया है ।

Basic Hydrological Flaw in the Design of SSP

4207. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sardar Sarovar Project, apart from its adverse ecological impact and inadequate resettlement of outees suffers from a basic hydrological flaw, since the basic river flow data used in designing the Sardar Sarovar Project has been found to be unreliable;

(b) whether it is also a fact that the Sardar Sarovar Project was originally designed to depend substantially on a complex of over three thousand upstream storages for its supplies of water, which have not been constructed, hence limiting the availability of water in the Sardar Sarovar Project and the claimed benefits from the entire project; and

(c) if so, what steps do Government intend to take to overcome this fatal flaw ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Cutting of Water Supply to Delhi by the Haryana Government

4208. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the Haryana Government had cut water supply to Delhi in the month of January;

(b) if so, what were the reasons therefor;

(c) whether the Chief Minister of Delhi had met Prime Minister and Minister of Water Resources to solve the water crisis in Delhi; and

(d) if so, the steps Central Government have taken in this regard to avoid water crisis of Delhi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes, Sir. Haryana curtailed the supply of additional raw water being supplied to Delhi from its own share of Ravi-Beas/Yamuna waters in the month of January, 1994.

(b) The curtailment was exercised by Haryana to meet its own requirement of irrigation and drinking water.

(c) Chief Minister of Delhi had met Prime Minister on 11th January, 1994 in connection with drinking water supply to Delhi. There was no official meeting of Chief Minister of Delhi with Minister of Water Resources recently on this matter.

(d) The Union Government has been requesting Haryana Government to supply additional water to Delhi whenever such a shortage has occurred. In addition, Ministry of water Resources have suggested short term measures to Delhi to avoid water crisis.

केन्द्रीय जल आयोग को पेश की गई परियोजनाएं

4209. श्री रामदेव भंडारी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय जल आयोग को पेश की गई सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) शंकाओं को दूर करने के बाद भी कौन-कौन सी परियोजनाएं लंबित हैं;

(ग) योजनाओं को लंबित रखने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार उन्हें स्वीकृति देने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(लागत : करोड़ रु०)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	केंद्रीय जल आयोग से प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5
(क) सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयी परियोजनाएं बशर्ते कि टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया जाये :				
बृहद				
1	सोन नहर आधुनिकीकरण	235.93	1/92	नवम्बर, 93 में विचार किया गया और स्वीकार्य पायी गयी । राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
2	स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना	1428.82	7/89	दिसम्बर, 92 में विचार किया गया और स्वीकार्य पायी गयी । राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति तथा पुनर्वास व पुनर्स्थापन पहलुओं पर कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
3	सिकतिया बराज	133.11	1/88	अगस्त, 88 में विचार किया गया और स्वीकार्य पायी गयी । राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
4	उत्तरी कोइल जलाशय	475.00	3/86	सितम्बर, 89 में विचार किया गया और स्वीकार्य पायी गयी । राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
मध्यम				
1	कुण्डघाट	5.61	11/82	अगस्त, 1988 में विचार किया गया तथा स्वीकार्य पायी गयी बशर्ते कि बाढ़ डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया जाये और राज्य सरकार द्वारा योजना में शामिल कर लिया जाये ।
(ख) परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया किंतु सलाहकार समिति द्वारा इन पर विचार आस्थगित कर दिया गया :				
बृहद				
1	तिलैय्या-धाधर	121.33	12/81	अंतर्राज्यीय मुद्दों के कारण मार्च, 1983 में विचार-विमर्श आस्थगित कर दिया गया । जुलाई, 92 में हुई अंतर्राज्यीय बैठक के पश्चात् बिहार द्वारा अद्यतन प्राक्कलन सहित संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है ।
2	कोनार व्यपवर्तन	252.97	4/82	अंतर्राज्यीय मुद्दों के कारण मार्च, 84 में विचार-विमर्श आस्थगित कर दिया गया । जुलाई, 1992 में हुई बैठक के बाद बिहार द्वारा अद्यतन प्राक्कलन सहित संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है ।

1	2	3	4	5
(ग) अन्य परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति :				
बृहद				
1	जमानिया पम्प नहर	108.66	11/90	राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र नहरों के संरेखन और करमनासा नदी के पार जाने, सिंचाई आयोजना पहलुओं और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृति संबंधी मामले हल किए जाने हैं ।
2	केसी फेज-II	114.78 (जल निकास सहित कुल लागत)	12/90	लागत इंजीनियरी, सिंचाई आयोजना व जल-निकास पहलुओं के सम्बन्ध में है । राज्य सरकार द्वारा जी एफ सी सी की टिप्पणियों का अनुपालन किया जाना है ।
3	गण्डक फेज-II	770.67 (जल निकास सहित कुल लागत)	12/90	राज्य सरकार द्वारा लागत इंजीनियरी, सिंचाई आयोजना निर्माण मशीनरी और जल निकास पहलुओं के बारे में जी एफ सी सी की टिप्पणियों का अनुपालन करना है ।
4	पुनासी जलाशय	173.94	6/92	राज्य सरकार द्वारा अद्यतन अनुमान तैयार करना है और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
5	बुरहई जलाशय	112.50	12/90	सिंचाई, आयोजना और लागत पहलुओं पर राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों का अनुपालन करना है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
6	सुखसेना घाट	20.62	10/89	राज्य सरकार को टिप्पणियों की अनुपालना करनी है और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
7	पुन पुन-मोरहार-दरधा	68.92	1/92	परियोजना फरवरी, 1992 में लौटा दी गयी थी । संशोधित रिपोर्ट दिसम्बर, 1993 में प्राप्त हुई थी और विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थीं ।
मध्यम				
1	सलय्या	10.77	8/88	सलाहकार समिति ने इस पर पहले 1983 में विचार किया था और 5.95 करोड़ की लागत पर इस शर्त पर स्वीकृत की थी कि वन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये ।
2	रामरेखा	20.14	8/88	सलाहकार समिति द्वारा पहले दिसम्बर, 1983 में विचार किया गया था और 6.86 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत की गयी थी बशर्ते कि वन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये ।
3	धनसिंहतोली	17.10	8/88	सलाहकार समिति द्वारा पहले दिसम्बर, 1993 में विचार किया गया था और 4.76 करोड़ रुपए की लागत पर इस शर्त पर स्वीकृत की गयी थी कि वन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये ।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	केंद्रीय जल आयोग से प्राप्ती की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5
4	सप्तपोटका	16.10	8/88	पहले दिसम्बर, 1983 में सलाहकार समिति पर विचार किया गया था और 5.95 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत की गयी थी बशर्ते कि वन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये ।
5	कट्टी	27.04	8/90	सलाहकार समिति द्वारा पहले दिसम्बर, 1983 में विचार किया गया था और 7.18 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत की गयी थी बशर्ते कि टिप्पणियों का अनुपालन कर लिया जाये ।

टिप्पणी : परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है और पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति, जब कभी अपेक्षित हो, प्राप्त करती है ।

Inter-linking of major river basins

4210. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any plan to inter-link major river basins in the country;

(b) if so, what are the details thereof, stating (i) the deficit States likely to be benefited; and (ii) the irrigation potential of these States estimated to increase as a result thereof;

(c) the time likely to be taken in the implementation of the project;

(d) the extent of the Central and State involvement in the completion of the project; and

(e) the extent to which the inter-State river water disputes are likely to be solved as a consequence thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) and (b) A National Perspective for Water Resources Development prepared by Government envisages inter-linkages between various Peninsular rivers and Himalayan rivers separately for transfer of water from water rich basins to water short basins for optimum utilisation of water resources. States of West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu,, Maharashtra, Gujarat and Karnataka are scheduled to benefit from these inter-linkings. The National Perspective envisages additional irrigation benefit of 25 million hectares from surface waters and 10 million hectares by increased use of ground water.

(c) and (d) Government has established National Water Development Agency (NWDA) under Society Registration Act, 1860 in 1982 under the Chairmanship of Union Minister of Water Resources with Chief Ministers/Ministers in-Charge of Irrigation of State Governments, apart from Central/State Government officials as members and with a technical secretariat to firm up these proposals. A total of 36 water transfer links, 17 under Peninsular component and 19 under Himalayan component have been identified by National Water Development Agency. While office studies of 13 links under Peninsular component have been completed, studies of balance Peninsular links and all links under Himalayan component have been included in VIII Plan. In addition, investigation of 9 links of Peninsular component and 3 links of Himalayan component have been included in the VIII Plan Programme of the Agency.

Implementation of the schemes depends on establishment of feasibility, concurrence and agreement between concerned States and availability of funds. In the absence of detailed project reports, it is not possible to indicate estimated cost quantum of benefits and time schedule for construction of project.

(e) With the implementation of the envisaged water transfer links more water becomes available in the water short areas to ensure optimum utilisation of water resources.